



डॉ० पंकज चौधरी

भारतीय लोकतंत्र तथा गठबंधन की राजनीति

असि० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कंधला – शामली, (उ०प्र०), भारत

Received-02.05.2024, Revised-09.05.2024, Accepted-13.05.2024 E-mail: pankajbali21.pb@gmail.com

सारांश: चतुर्थ आम निर्वाचन के बाद 'गठबंधन सरकारों की राजनीति' को स्वातन्त्र्योत्तर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कहा जा सकता है। अनेक राज्यों में गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ और कांग्रेस दल के विकल्प के रूप में इन गठबंधन (मिश्रित) सरकारों को कांग्रेस दल के राजनीतिक एकाधिकार का एकमात्र वांछनीय विकल्प समझा गया। भारत में गठबंधन सरकार के लिये कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे 'संविद', 'संयुक्त मोर्चा मंत्रिमण्डल', 'जनता मोर्चा सरकार', 'मिली-जुली सरकार' आदि। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन की राजनीति का विस्तार से विवेचन किया गया है।

कुंजीशब्द— निर्वाचन, गठबंधन, राजनीति, स्वातन्त्र्योत्तर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मिश्रित, राजनीतिक एकाधिकार, संविद।

गठबंधन सरकार क्या है ?— गठबंधन सरकार से अभिप्राय है कि कई दलों की मिली-जुली मिश्रित सरकार का बनना। आम चुनावों से पूर्व कुछ दल मिलकर के एक निश्चित कार्यक्रम बना लेते हैं, उस निश्चित कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, चुनावों में आपसी सामंजस्य तथा तालमेल स्थापित करते हैं, एक-दूसरे के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा नहीं करते और यदि चुनावों के बाद इन संयुक्त दलों को बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो सर्व सम्मति से वे अपना नेता निर्वाचित कर लेते हैं और नेता द्वारा निर्मित मंत्रिमण्डल में सभी दलों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

कभी-कभी आम चुनावों के बाद भी 'गठबंधन सरकार' का गठन किया जाता है। यदि विधानसभा या लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो और दो से अधिक दल हैं तो ऐसी स्थिति में दो या कुछ दल मिलकर के एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं, सर्वसम्मत नेता चुन लेते हैं और मंत्रिमण्डल के सभी दलों को प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है। वस्तुतः, गठबंधन सरकार मिली-जुली सरकार है जिसमें दलीय सिद्धान्तों और कार्यक्रमों की अतिवादिता को त्यागते हुये विभिन्न दल या गुट निश्चित कार्यक्रम पर समझौता कर लेते हैं और उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सरकार में शामिल होते हैं।

दूसरे शब्दों में, संसदीय व्यवस्था में जब केन्द्रीय और राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन (लोकसभा/विधानसभा) के चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, त्रिशंकु लोकसभा या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है, तब राजनीतिक दलों और दलीय नेताओं के बीच गठबंधन को जन्म देने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है और जो गठबंधन, राज्य के प्रधान को अपने बहुमत से आश्वस्त कर देता है, उस गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया जाता है तथा गठबंधन का नेता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार का गठन करता है। इस प्रकार गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार होती है, जिसमें कम-से-कम दो राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है।

ऑग के अनुसार, "मिली-जुली सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमण्डल के निर्माण के लिये एक हो जाते हैं।"

"मिली-जुली सरकार राजनीतिक समुदायों तथा शक्तियों का गठजोड़ है जो अस्थायी और कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिये होता है। राजनीतिक दलों का यह मिलन सरकारों के निर्माण या उनकी रक्षा करने के लिये बनाया जाता है। जिन दलों के सहयोग के फलस्वरूप संयुक्त सरकारों का निर्माण होता है वे एक बुनियादी राजनीतिक कार्यक्रम पर एकमत होते हैं।"

रोजर स्कटन ने अपनी पुस्तक 'A Dictionary of Political Thought' में राजनीति शास्त्र में 'गठबंधन' पद को परिभाषित किया है। उनके अनुसार विभिन्न दलों या राजनीतिक पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों का आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है।

गठबंधन सरकार की स्थापना दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के निर्वाचित उम्मीदवारों के समूह या अन्य किसी दल के निर्वाचित उम्मीदवारों के समर्थन से होती है। ऐसा सदन में बहुमत जुटाने के लिये होता है। गठबंधन की आवश्यकता तब महसूस होती है, जब विधायिका में किसी एक राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। गठबंधन निर्वाचन के पूर्व या पश्चात उन दलों में होते हैं, जो कार्यक्रम और नीति में समानता रखते हैं।

गठबंधन सरकार मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्वर होती है। ऊपर से देखने पर गठबंधन सरकार चाहे कितनी ही ठोस प्रतीत हो, उसके अंदर मतभेद के स्वर विद्यमान होते ही हैं। भागीदार दलों के बीच विद्यमान ये राजनीतिक मतभेद ही तो, दलों को अपना अलग-अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाये रखने की प्रेरणा देते हैं।

गठबंधन सरकारों का सत्ता में आना लोकतंत्र में कोई अस्वस्थ अथवा दोषपूर्ण परम्परा नहीं है। राजनीतिक दलों की जैसी स्थिति देश में है, उसे देखते हुए गठबंधन सरकारों का बनना आवश्यक है। यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका की तरह द्विदलीय व्यवस्था नहीं है और कोई मजबूत विरोधी दल भी संगठित नहीं है, जो सत्तारूढ़ सरकार के पराजित होने पर तुरन्त विकल्प सरकार बना सके। बहुदलीय राजनीति में तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि शासन संचालन के लिये गठबंधन सरकारों का गठन किया जाये। सहयोग और सामंजस्य की भावना लोकतंत्र की आधारशिला है। इस भावना के उत्तरोत्तर विकास के लिये भी संयुक्त सरकारों का

निर्माण बहुत आवश्यक है। जब देश में अनेक दल हैं तो उनको ऐसा अवसर मिलना चाहिये कि आपस में मिलकर और सहयोग स्थापित करके शासन सूत्र संभालें और जनता के हितार्थ देश की प्रमुख समस्याओं के संतोषजनक समाधान का प्रयास करें। इससे प्रायः सभी दलों को शासन का अनुभव प्राप्त होता है। उनमें जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। यदि किसी चुनाव में निर्वाचक समुदाय किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत में नहीं भेजता तो यह अनिवार्य हो जाता है कि सबसे बड़ा दल दूसरे किसी दल के साथ समझौता करके गठबंधन सरकार बनाये।

निष्कर्ष— गठबंधन सरकारें 'सम्मिलन की राजनीति' का परिणाम होती हैं और विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलन की इस राजनीति को चुनाव के पूर्व या पश्चात अपना सकते हैं। सम्मिलन की इस राजनीति को अपनाने का विशिष्ट प्रयोजन होता है। जब चुनाव के पूर्व सम्मिलन या गठबंधन की राजनीति को अपनाया जाता है, तब इसका लक्ष्य होता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन करना। अनेक बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दल चुनाव में अकेले अपने ही बलबूते पर बहुमत पाने की आशा करता है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाता या कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर पाता, तब वह दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर बहुमत प्राप्त करता है और सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करता है।

चुनाव के पूर्व जो गठबंधन बनते हैं, उनमें अवसरवादिता का तत्व कम होता है और साथ-साथ काम करने का आधार बन जाता है। चुनाव के पश्चात और चुनाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये जो गठबंधन बनाये जाते हैं, उनमें अवसरवादिता का तत्व अधिक अंशों में विद्यमान होता है और यही बात इन गठबंधनों को कमजोर कर देती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. D.C. Gupta : Indian Government and Politics.
2. Bhawani Sen Gupta : Indian - Problems of governance.
3. Chaturvedi, Umar Singh : Indian Politics of the Twentieth Century.
4. Narayan, Iqbal : State Politics in India.
5. Grover, V. & Arora, R. : Multi-Party System of Government of India.
6. Roger Scruton : 'A Dictionary of Political Thought'.
7. शर्मा, राधेश्याम (अनु०) : भारत में जनतन्त्र के नवीन आदर्श।
8. कश्यप, सुभाष : दल-बदल और राज्यों की राजनीति।
9. कश्यप, सुभाष : भारतीय राजनीति व राजनीतिक दल।
10. कोठारी, रजनी : भारत में राजनीति।
11. कश्यप तथा गुप्त : राजनीति कोश।
12. शर्मा, पी०एन० : महानिर्वाचन और राष्ट्रीय राजनीति।
13. वर्मा, डा० विश्वनाथ प्रसाद : निर्वाचन और राजनीति।
14. सिंह, डा० वीरकेश्वर प्रसाद : शासन एवं राजनीति।
15. नारंग, ए० एस० : भारतीय शासन एवं राजनीति।
16. कौल, महेश्वर नाथ शकधर, श्यामलाल : संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार।
17. गुप्ता, मोहिनी गुप्त, विश्वप्रकाश : भारतीय राजनीति विकास और विश्लेषण।
18. सिंह, विजेन्द्र पाल : हमारे विधायक
19. श्रीवास्तव, शंकर दयाल : भारतीय लोकतंत्र: समस्याएँ और संभावनाएँ।
